...ालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

...ा-पत्र संख्या :–75 / 2022 दायर दिनांक: 24.05.2022

CMS NO:- 2022/142

पीठासीन अधिकारी :– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. रामलाल आ0 तेजा जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज..

–प्रार्थी–

बनाम

1. मोती आ0 धारी जाति मीणा निवासी हरिपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251(क) एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जय सिंह आशावत, श्री फतेह सिंह आशावत।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय कुमार।

निर्णय दिनांक 27/03/2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल भजनेरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र देई की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 42 के अनुसार खसरा संख्या 1474 रकबा 0.7200 हैक्टयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.7200 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के अकेले के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है। यह कि ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल भजनेरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र देई की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 31 के अनुसार खसरा संख्या 1477 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1478 रकबा 0.7686 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1507 रकबा 0.1618 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल किता 1.1246 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 मोती के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है। यह कि ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल भजनेरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र देई की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा संख्या 1475 रकबा 15 बिस्वा राजकीय सिवायचक भूमि स्थित है जिसके एक मात्र स्वामी भूमिधारी राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां है। यह कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल डोडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र डोकून की जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा संख्या 483 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा गै.मु. रास्ता स्थित है जो ग्राम लक्ष्मीपुरा से ग्राम हरिपुरा जाता है जिसके एक मात्र स्वामी भूमिधारी राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां है। उक्त रास्ते की दक्षिणी सीमा ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल भजनेरी के खसरा संख्या 1477 की उत्तरी सीमा से मिली हुई है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि पर पहुंचने का एक मात्र रास्ता प्रार्थी के निवास ग्राम लक्ष्मीपुरा से हरिपुरा जाने वाले रास्ते से जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित है से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खसरा संख्या 1477 एवं 1478 तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित खसरा संख्या 1475 राजकीय सिवायचक भूमि के पूर्वी मेड के सहारे होकर स्थित है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से ए टू बी के रूप में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के ग्राम लक्ष्मीपुरा से अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर पहुंचने हेतु स्थित नही है। यह कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि पर पहुंचने का एक मात्र रास्ता प्रार्थी के निवास ग्राम लक्ष्मीपुरा से हरिपुरा जाने वाले रास्ते से जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 मे अंकित है से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खसरा संख्या 1477 एवं 1478 तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित खसरा संख्या 1475 राजकीय सिवायचक भूमि के पूर्वी मेड के सहारे होकर स्थित है जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिये प्रार्थी खसरा संख्या 1477,1478 एवं 1475 के खातेदारान प्रतिवादीगण को भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवां के माध्यम से राजकोष में न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार कीमत ... को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल ... ट्रेस, शपथ–पत्र आदि पेश किये।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन ... कि ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल भजनेरी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में प्रत्यार्थी संख्या 1 मोती ... खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1477 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1478 रकबा 0.7686 हैक्टेयर, खसरा संख्या ... रकबा 0.1618 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.1246 हैक्टेयर ... स्थित है। जिस पर प्रत्यार्थी ... 1 ने सरसों एवं गेहू की फसल बो रखी है तथा भूमि के चारों ओर तार–जाली खींच रखी है तथा डोल भी लगा रखा है। इस वर्ष क्षैत्र में अत्यधिक बरसात होने के कारण मिट्टी बह जाने के कारण प्रार्थी संख्या 1 मोती ने उक्त कृषि भूमियों पर लाखों रूपये खर्च करके मिट्टी–झींकरा भी डलवाया था ताकि कृषि भूमि को भरा जा सके और ऊंची हो जाये जिससे भूमि उपजाऊ बन सके जिससे भूमियों में स्यालू की फसल बोते वक्त पानी नही भरे और भूमियों में अच्छी पैदावार हो। प्रत्यार्थी संख्या 1 मोती के खाते की उक्त भूमियों पर प्रार्थी का आने–जाने का कतई कोई रास्ता नही रहा है। प्रार्थी जबर्दस्ती लाठी की ताकत पर विगत 2–3

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.07.03 13:25:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

COURT DECISION 2022 ...

महिने से प्रत्यार्थी के खाते की भूमि को नष्ट–भ्रष्ट करके नया रास्ता कायम करने को आमदा हो रहा है ताकि प्रत्यार्थी संख्या 1 के खाते की भूमि बिगड जावे और प्रत्यार्थी संख्या 1 को भूखों मरने की स्थिति पैदा हो जावे और भूमि को जैसे–तैसे करके प्रार्थी से छीनना चाहते है। जिसका प्रार्थी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इसलिये प्रार्थी का उक्त प्रार्थना–पत्र चलने योग्य न होकर अपितु खारिज फरमाये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थी को किसी भी प्रकार से प्रत्यार्थी संख्या 1 के खाते की कृषि भूमि को बिगाडकर उस पर जबरन लाठी की ताकत पर नया रास्ता निकलने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी के पास जब पहले से ही उसके खाते की भूमि पर आने जाने के वर्षो पूराने रास्ते जवाव दावे की चरण संख्या 4 में एवं विशेष आपत्तियों की चरण संख्या 2 एवं 3 में वर्णित विवरणानुसार है तो उसे प्रत्यार्थी संख्या 1 के खाते की भूमि पर नया रास्ता निकालने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी के पास पहले से ही अपने खाते के खेत में सीधे जाने का रास्ता मौजूद है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार मौके पर अप्रार्थी मोती पि0 घासी जाति मीणा निवासी हरिपुरा की खातेदारी भूमि में सहमति से ग्रेवल डालकर प्रार्थी द्वारा लगभग 10 फीट रास्ता निकाला हुआ है। यह रास्ता लगभग 40 वर्ष से अधिक समय से निकाला जाना बताया है जो मौके पर अभी भी बहाल है। यह कि वाद पत्र में रास्ते की चौडाई अंकित नही है। प्रार्थी द्वारा मौके पर बताये अनुसार लगभग 13 फीट रास्ते का रिकॉर्ड नक्शा में दर्ज करवाना चाहता है। यह कि इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। यह कि अन्य रास्ता जो अप्रार्थीगण द्वारा लक्ष्मीपुरा से हरिपुरा होता हुआ बताया है, वह बहुत अधिक लम्बा एवं खर्चीला है। यह कि प्रार्थी द्वारा परिशिष्ट क के अनुसार चाहा गया रास्ता निम्नानुसार प्रस्तावित किया है। जिसके मुताविक राजस्व रिकार्ड के राजस्व निम्नानुसार हैः–

ख.न.	रकबा	किस्म	माप	क्षैत्रफल
1477	1–04 बीघा	नहरी 2	6*2= 12 वर्ग गट्ठा	0.0048 हैक्ट.
1478	4–15 बीघा	नहरी 2	52*2= 104 वर्ग गट्ठा	0.0413 हैक्ट.
1475	0–15 बीघा	बंजड(सिवायचक)	13*2= 26 वर्ग गट्ठा	0.0104 हैक्ट.
			कुल =	0.0565 हैक्ट.

यह है कि उक्त चाहे गये रास्ते को नक्शा ट्रेश में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

वकील अप्रार्थी ने तसहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट पर आपत्ति व्यक्त करते हुए पुनः रास्ता रिपोर्ट मगंवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र पर जवाब प्रार्थी लिया जाकर तहसीलदार नैनवां की उपस्थिति में बहस सुनी गई तथा अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः रास्ता रिपोर्ट बहस उपरान्त दिनांक 12.12.2022 को खारिज किया गया।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया । प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रकरण में तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तावित रास्ता विगत 40 वर्षो से अधिक समय से चालू होना बताया गया है, जो मौके पर बहाल है। अतः न्यायालय उक्त प्रचलित प्रस्तावित रास्ते को ही रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना उचित समझता है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल भजनेरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र देई की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 42 के अनुसार खसरा संख्या 1474 रकबा 0.7200 हैक्टयर भूमि पर आने जाने के लिये निम्नानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है–

ख.न.	रकबा	किस्म	माप	क्षैत्रफल
1477	1–04 बीघा	नहरी 2	6*2= 12 वर्ग गट्ठा	0.0048 हैक्ट.
1478	4–15 बीघा	नहरी 2	52*2= 104 वर्ग गट्ठा	0.0413 हैक्ट.
1475	0–15 बीघा	बंजड(सिवायचक)	13*2= 26 वर्ग गट्ठा	0.0104 हैक्ट.
			कुल =	0.0565 हैक्ट.

यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। निर्णय नक्शा परिशिष्ठ [illegible] है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे [illegible] लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.07.03 13:25:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

ग्राम = हरिपुरा तहसील नैनवा जिला - बूंदी
राज॰

परिशिष्ट - "क"

राजकार्य हेतु नि:शुल्क जारी

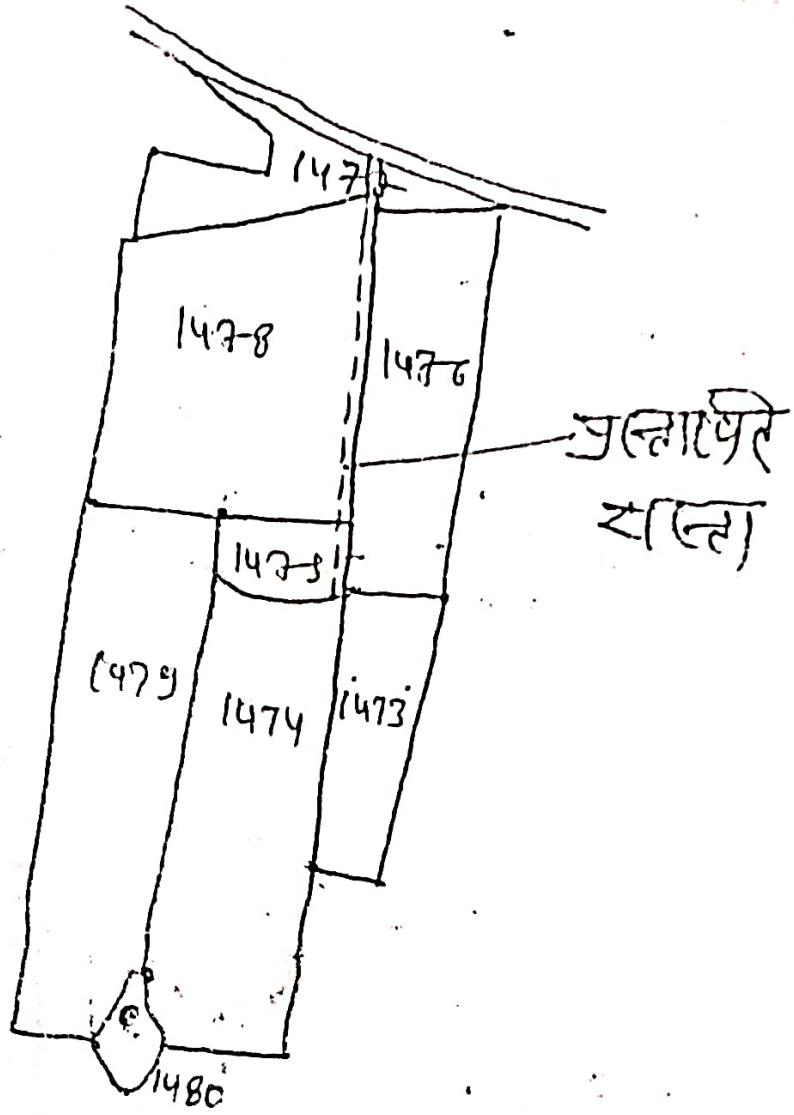

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.07.03 13:25:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

30/7/22